


डिग्री बमुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्बा दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 143 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01. आईदानराम पुत्र स्वर्गीय श्री मांगिया उर्फ मांगीलाल, 02. मानाराम पुत्र स्वर्गीय श्री मांगिया उर्फ मांगीलाल 03. केसाराम पुत्र स्वर्गीय मांगिया उर्फ मांगीलाल सभी जातियान मेघवाल, निवासीगण ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		01. संग्रामराम पुत्र स्वर्गीय श्री पेमाराम 02. बिरमाराम पुत्र स्वर्गीय श्री पेमाराम 03. कालूराम पुत्र स्वर्गीय श्री पेमाराम 04. बीजाराम पुत्र स्वर्गीय श्री पेमाराम 05. पारस पुत्र स्वर्गीय श्री पेमाराम 06. भगाराम पुत्र स्वर्गीय श्री गिरधारीराम 07. रतनलाल पुत्र श्री भगाराम 08. ओमप्रकाश पुत्र श्री भगाराम 09. अशोक भाटिया पुत्र श्री भगाराम 10. जयराम पुत्र श्री भगाराम 11. राकेश भाटिया पुत्र श्री भगाराम जातियान मेघवाल, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

दावा अंतर्गत धारा 53,88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 143 / 2024 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश हुआ। उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने एवं वादकरण के अभाव में ही नामंजूर किया जाकर खारिज किया जाता है।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।


 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
 लूणी

बरीबा गेरे दरतायत व मुहर अदालत आज तारीख 13-6-2025 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं प्रमुख अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर लूणी



गुजराई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सवूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सवूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान	स्टाम्प	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं प्रमुख अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर लूणी